न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्र. क................/2018 निगरानी

I/निगरानी/जबलपुर/भू.रा/2018/1770

प्रार्थी

इंडियन ऑयल कोरपोरेशन लि. पंजीकृत कार्यालय इंडियन ऑयल भवन जी.9 अलीयावर जंग मार्ग बांद्रा (पूर्व) मुम्बई द्वारा अधिकृत अधिकारी श्री एस.के नायर इंडियन ऑयल कोरपोरेशन लि. 16 अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल

विरूद्ध

रेस्पोडेंट्स

मध्य प्रदेश शासन द्वारा

1. अपर कलेक्टर जबलपुर
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोतवाली जबलपुर म.प्र.

दीवानी निगरानी धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता बिरूद्ध आदेश दिनांक 16.1.2018 पारित न्यायालय अतिरिक्त कमिशनर जबलपुर प्रकरण कमांक 585/ अपील/17-18 एवं आदेश दिनांक 15.12.17 पारित अपर कलेक्टर जबलपुर प्रकरण कमांक 03/ अपील/17-18 जो प्रकरण कमांक 14/अ-2/2016-17 मे पारित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोतवाली के आदेश दिनांक 17.10.17 के बिरूद्ध प्रस्तुत की गई, से दुखित होकर ।

प्रार्थी की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है ।

1) यहकि, प्रार्थी कम्पनी एक निगमित निकाय है जो कम्पनी अधिनियम के अतर्गत पंजीकृत होकर एक सार्वजनिक उपकम है जिसका मध्य प्रदेश में राज्य कार्यलय 16 अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल में है तथा कम्पनी के विधिक अधिकारी श्री एस के नायर की ओर से वर्तमान निगरानी प्रस्तुत है।

2) यहकि, प्रार्थी कम्पनी ने प्लाट कमांक 145/1 स्थित सेटेलमेंट न. 754, सुभाग नगर जबलपुर का एक भाग 10430 वर्ग फीट पूर्व मालिक हिरदेस्वरूप गुप्ता से विकय

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/जबलपुर/भू.रा./2018/1770

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। अपर कलेक्टर जबलपुर ने अपने आदेश में अपील की ग्राह्यता के पूर्व वसूली की 50% राशि जमा करना अनिवार्य होने का उल्लेख करते हुए अभिलेख आने पर प्रकरण ग्राह्यता पर विचार किए जाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई न्यायिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। परिणामस्वरूप यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	